Vol 4 Issue 11 Aug 2015

ISSN No : 2249-894X

Monthly Multidisciplinary Research Journal

Review Of Research Journal

Chief Editors

Ashok Yakkaldevi
A R Burla College, India

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Welcome to Review Of Research

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2249-894X**

Review Of Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Fabricio Moraes de AlmeidaFederal University of Rondonia, Brazil

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Xiaohua Yang
University of San Francisco, San Francisco

Karina Xavier
Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

May Hongmei Gao
Kennesaw State University, USA

Marc Fetscherin
Rollins College, USA

Liu Chen
Beijing Foreign Studies University, China

Mabel Miao
Center for China and Globalization, China

Ruth Wolf
University Walla, Israel

Jie Hao
University of Sydney, Australia

Pei-Shan Kao Andrea
University of Essex, United Kingdom

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Ilie Pintea
Spiru Haret University, Romania

Mahdi Moharrampour
Islamic Azad University buinzahra Branch, Qazvin, Iran

Titus Pop
PhD, Partium Christian University, Oradea,
Romania

J. K. VIJAYAKUMAR
King Abdullah University of Science & Technology,Saudi Arabia.

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences
Al. I. Cuza University, Iasi

REZA KAFIPOUR
Shiraz University of Medical Sciences
Shiraz, Iran

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

Nimita Khanna
Director, Isara Institute of Management, New Delhi

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

P. Malyadri
Government Degree College, Tandur, A.P.

S. D. Sindkhedkar
PSGVP Mandal's Arts, Science and Commerce College, Shahada [M.S.]

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

C. D. Balaji
Panimalar Engineering College, Chennai

Bhavana vivek patole
PhD, Elphinstone college mumbai-32

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut (U.P.)

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

Jayashree Patil-Dake
MBA Department of Badruka College Commerce and Arts Post Graduate Centre (BCCAPGC),Kachiguda, Hyderabad

Maj. Dr. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

AR. SARAVANAKUMARALAGAPPA UNIVERSITY, KARAIKUDI,TN

V.MAHALAKSHMI
Dean, Panimalar Engineering College

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University

Kanwar Dinesh Singh
Dept.English, Government Postgraduate College , solan

More.....

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.ror.isrj.org

Review Of Research
ISSN 2249-894X

Impact Factor : 3.1402(UIF)
Volume - 4 | Issue - 11 | Aug - 2015

छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन एवं उसकी चुनौतियॉं

एस. आर. ठाकुर
प्राध्यापक (वाणिज्य विभाग) शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग(छ.ग.)

Co - Author Details :
सत्य प्रकाश मिश्रा
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनिकि विश्वविद्यालय, भिलाई (छ.ग.)

सारांश

प्रस्तुत शोधपत्र, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन और उसमें व्याप्त चुनौतियों के अध्ययन पर आधारित है। राज्य में कृषि उत्पादकता को और अधिक लाभप्रद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषकों को लाभप्रद विपणन के अवसर प्रदान करने का सतत प्रयास किया जाता रहा है, जिसके माध्यम से राज्य के कृषकों को अपनी फसलों का उचित दाम बिना किसी परेषानी के प्राप्त हो सके। किन्तु शासन द्वारा कृषि विपणन के क्षेत्र में जो प्रयास किये गये है उन प्रयासों का कितना फायदा राज्य के कृषकों को प्राप्त हो रहा है? राज्य में कृषि विपणन के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है? तथा इसके विकास में किस प्रकार की चुनौतियॉं व्याप्त हैं ? प्रस्तुत शोध के माध्यम से राज्य में कृषि विपणन की स्थिति तथा उसमें व्याप्त चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। शोध के निष्कर्ष मुख्यतः द्वितीयक समंकों के आधार पर ज्ञात किये गये है।

1 भूमिकाः

छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकांष जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 80 प्रतिषत जनसंख्या के जिवकोपार्जन का प्रमुख श्रोत कृषि कार्य है। प्रदेश के 37.46 लाख कृषक परिवारों में से लगभग 76 प्रतिषत कृषक परिवार लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। राज्य गठन के पश्चात् राज्य शासन द्वारा कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में तेजी आई है। प्रदेश के कृषकों को शोषण से बचाने, उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं विपणन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 2000 लागू किया है जो 01 नवम्बर 2000 से प्रभावशील है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ही मण्डी बोर्ड का कार्य संचालित किया जा रहा है ।

छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मंडियों का विशेष योगदान रहा है। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कृषि उत्पादों के विपणन के लिए नियमित बाजार क्रियान्वित करने के उद्देश्य से वर्तमान में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक–24 सन् 1973) क्रियान्वित है, इसी परिप्रेक्ष्य में अधिनियम के तहत कृषि उपज मण्डी कार्यालयों की स्थापना की गई है तथा अधिनियम की धारा–40 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के गठन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कृषि उपज मण्डी समितियों के कामकाज के व्यवस्थित संचालन, मण्डी समितियों के माध्यम से अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना है। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन एवं विकास संबंधी कार्य भी संपादित किये जाते है जो निम्नानुसार है :–

(1) मण्डी सर्वेक्षण तथा गवेंषणा, कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण ।
(2) कृषि तथा सम्बद्ध सेक्टरों से सुसंगत परीक्षण और संचार आधारित संरचना का विकास।
(3) मण्डी समितियों के माध्यम से नियमन को प्रभावी ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना।
(4) मण्डी/उपमण्डी प्रांगणों में न्यूनतम आधारिक अधोसंरचना का विकास करना एवं इस हेतु वित्तीय सहायता देना।
(5) मण्डी क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण सड़क एवं छोटे बड़े पुलों का निर्माण करना।
(6) आर्थिक रूप से कमजोर मण्डियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
(7) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषि फसलों का विपणन एंव विक्रय करना।
(8) राज्य सरकार को निर्दिष्ट किये गये विषयों पर सलाह देना एवं अधिनियम/नियमों को प्रभावी बनाने एवं संशोधन करने हेतु आवश्यक सलाह देना व सहयोग करना।

राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन के उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए राज्य में कृषि उपज मंडियों तथा उप मंडियों की स्थापना का कार्य राज्य शासन द्वारा किया गया है, जिनके माध्यम से राज्य में कृषि विपणन संबंधित कार्य किये जाते है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2012–2013 की स्थिति में 73 नियमित कृषि उपज मंडियॉ कार्यरत हैं जिन्हें अ, ब, स, द श्रेणी के कृषि उपज मंडियों में विभाजित किया है। इसी प्रकार राज्य में 112 उप–मण्डियॉं कार्यरत हैं। राज्य शासन द्वारा इन कृषि मंडियों के माध्यम से राज्य के कृषकों द्वारा उत्पादित फसलों का क्रय विक्रय किया जाता है तथा शासन द्वारा निर्धारित दर से फसल का मूल्य प्रदान किया जाता है। प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में लाईसेन्सधारी स्टाकिस्टों की वर्तमान संख्या 9861 है । इसमें सबसे अधिक 8.15 प्रतिशत स्टाकिस्टों की संख्या, कृषि उपज मण्डी जगदलपुर में 804 रही है । इसी प्रकार, प्रदेश में लाईसेंसधारी, तौलने वालों की संख्या 1462 है । इसमें सबसे अधिक 12.79 प्रतिशत तौलने वालों की संख्या कृषि उपज मण्डी धमतरी 187 रही है । राज्य में कार्यरत श्रेणीवार कृषि उपज मंडियों एवं उनकी संख्या को नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

तालिका क्रमांक –1

छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत श्रेणीवार कृषि उपज मंडियों की संख्या

d-	J.kh	efM;k dh la[;k
1	v J.kh dh df"k mit e.Mh	12
2	c J.kh dh df"k mit e.Mh	17
3	l J.kh dh df"k mit e.Mh	30
4	n J.kh dh df"k mit e.Mh	14
;ksx		73

स्त्रोत :– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

उपरोक्त कृषि उपज मण्डियों की संख्या को निम्न दण्ड चित्र द्वारा प्रदर्षित किया गया है।

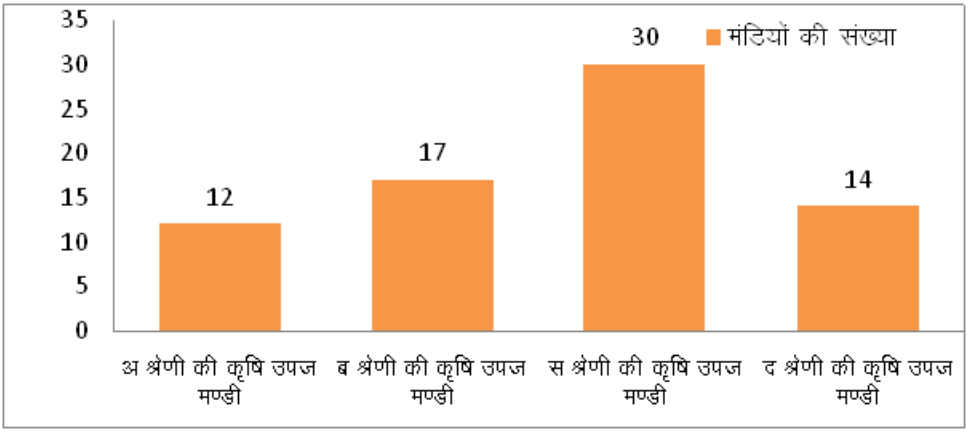

उपरोक्त तालिका में छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत श्रेणीवार कृषि उपज मंडी का विवरण प्रस्तुत किया गया है। विवरण से स्पष्ट है कि राज्य में अ श्रेणी की कृषि उपज मंडियों की संख्या 12, ब श्रेणी की कृषि उपज मंडियों की संख्या 17, स श्रेणी की कृषि उपज मंडियों की संख्या 30 तथा द श्रेणी की कृषि उपज मंडियों की संख्या 14 है। राज्य में सबसे अधिक स श्रेणी की कृषि उपज मंडियों की संख्या है। राज्य में इन्ही कृषि उपज मंडियों के माध्यम से कृषि उत्पादों के विपणन का कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 में इन कृषि उपज मंडियों के द्वारा जो विपणन के आकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वह निम्नानुसार हैः–

तालिका क्रमांक –2

कृषि उपज मंडियों में आवक, आय एवं प्राप्त मंडी शुल्क का विवरण

fooj.k	bdkbZ	2011&12	2012&13
vkod	Vu	8349	9426
vk;	yk[k :-	17153	18846
e.Mh 'kYd	yk[k :-	1858	2369

स्त्रोत :– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड।

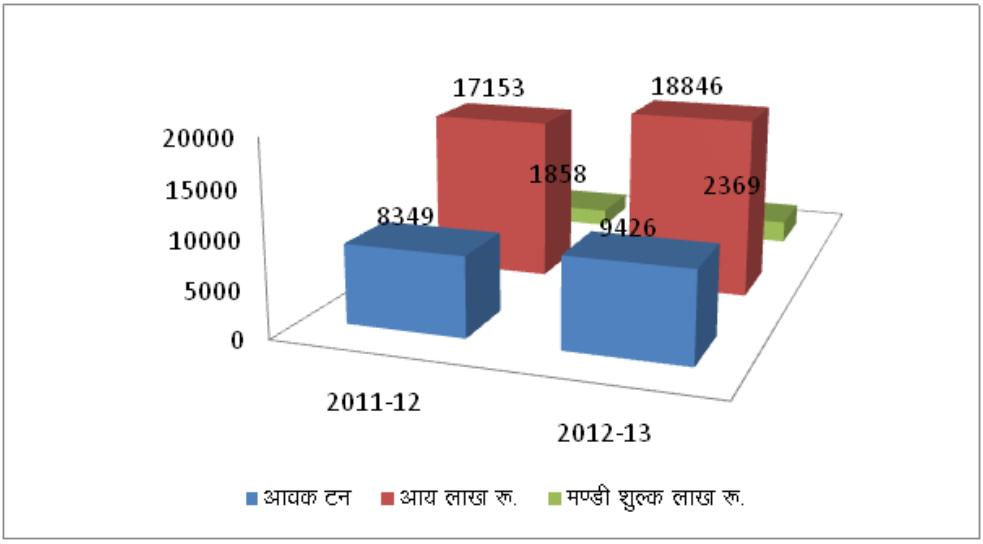

2 राज्य में कृषि विपणन हेतु शासन द्वारा किये गये अन्य प्रयास:

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पष्चात राज्य शासन द्वारा राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए समय समय पर आवष्यक प्रयास भी किये जाते रहे हैं जिसके माध्यम से राज्य में कृषकों को अपने कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय के लिए सुविधा हो सके है। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा राज्य में कृषि उत्पादों के विपणन के लिए जो अन्य प्रयास किये गये हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

हॉट बाजारों का निर्माण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2007–2008 के अंतर्गत 30 हॉट बाजारों का निर्माण किया गया है। इनह ाट बाजारों से प्रदेश के लगभग 30 से 35 हजार किसानों को लाभ हुआ है। विभिन्न स्थानों पर सुविधायुक्त कव्हर्ड शेड, ओपन प्लेटफार्म, गोदाम, मिट्टी एवं कीचड़ से मुक्त पीसीसी पेवमेन्ट तथा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होने से स्थानीय छोटे कृषकों में अपनी उपज विक्रय हेतु पर्याप्त सुविधा एवं उनके उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने से अति उत्साहित है साथ ही इन हाटबाजारों से विचौलियों द्वारा छोटे कृषकों के शोषण में काफी नियंत्रण हुआ है साथ ही इन हॉट बाजारों के निर्माण से छोटे कृषकों को अपनी उपज को तेज धूप व बरसात से होने वाली क्षति या/नुकसान में कमी आई है उससे परोक्ष लाभ किसानों को मिल रहा है।

गोदाम निर्माण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्ष 2007–2008 में 1000 मी. टन क्षमता वाले 27 गोदाम एवं 2008–09 में 13 गोदाम कृषि उपजों के भण्डारण हेतु निर्माण कराया गया है। राज्य में जहां वर्ष 2006–2007 में कृषि उपज की कुल आवक 59.34 लाख मी. टन थी, वही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लागू होने के पश्चात वर्ष 2011–12 की आवक 8349 टन एवं वर्ष 2012–13 की आवक 17153 टन हो गयी। यह वृद्दि इस तथ्य का द्योतक है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के राशि प्राप्त होने पर कृषि उपज मंडी समितियों में सुविधाअें की वृद्दि से कृषकों का झुकाव मण्डी प्रांगणों में उपज लाने की ओर बढ़ा है जिसका लाभ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषकों को हो रहा है। इस प्रकार कृषि उपज के आवक में उत्तरोत्तर वृद्दि हुई है। मंडी प्रांगण में गोदाम की सुविधा होने से व्यापारियों द्वारा क्रय किए गए अनाजों का भंडारण में सहायता मिलने से वे प्रोत्साहित हुए है। भविष्य में यदि और अधिक गोदाम निर्माण किया जाता है तो इससे मंडी प्रांगण में आवक की वृद्दि होगी।

उपमंडी विकास निर्माण

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 14 मंडियों के अधीन उपमंडी विकास कार्य किए गए है। इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विभिन्न स्थानों पर अच्छे स्वरूप में सुविधायुक्त जैसे कि कव्हर्ड बोर्ड, ओपन प्लेटफार्म, गोदाम, मिट्टी एवं कीचड़ से मुक्त पीसीसी पेवमेंट तथा पेयजल व्यवस्था उपलब्ध हाने का कार्य किया गया है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की उपमंडियों में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 05 उपमंडियों –गट्टासिल्ली (नगरी), बस्तर, हीरापुर,(कोण्डागांव) विश्रामपुरी (केशकाल) एवं देवरीवार (कांकेर) में उपमंडी विकास निर्माण कार्य प्रगति पर है।

कृषि फसल आवक एवं सूचना केन्द्रों का निर्माण (इनपुट कम इन्फरमेशन सेंटर निर्माण)

मंडी प्रांगण में कृषि फसलों की आवक मात्रा, भाव एवं अन्य आवश्यक जानकारियां एक ही स्थान पर कृषकों एवं व्यापारियों को मिल सकें इस दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्य की 08 चयनित मंडियों – रायपुर, राजिम, कवर्धा, धमतरी, बिलासपुर मुंगेली, रायगढ़ एवं जगदलपुर में इनपुट कम इन्फरमेंशन सेंटर का निर्माण कार्य किया गया है। इस केन्द्र से कृषकों को कृषि विपणन से सम्बन्धित में आवष्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध हो सकेंगी, इन जानकारियों से कृषक विपणन के क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास

राज्य की मंडियों में सभी मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न निर्माण कार्य किए गए है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की मंडियों में और अधिक सुविधाए देने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में छुरिया, बीजापुर, कोंटा एवं गीदम की मण्डियों में अधोसंरचना विकास निर्माण कार्य करवाया गया है।

फल–सब्जी एवं आदर्श मंडी परियोजना

छत्तीसगढ़ की अधिकांश मंडियों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है। राज्य सरकार की मंशानुरूप कुछ चयनित मंडियों को उस क्षेत्र की उपज एवं व्यापारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से फल–सब्जी एवं आदर्श मंडी परियोजनाएं लागू की गई है। इस योजना के तहत निर्माण कार्य के लिए केन्द्र सरकार से लगभग 25 प्रतिशत अनुदान भी प्राप्त हुआ हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृत कार्य लगभग पूर्ण हो चुके है।

3 चुनौतियॉं

यद्यपि राज्य में कृषि विपणन में सुधार हेतु राज्य शासन द्वारा अनेक प्रयाप किये जाने के पष्चात् भी वर्तमान में कृषि विपणन के क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियों के कारण राज्य शासन के समक्ष कई चुनौतियॉं उत्पन्न हुई है जिसमें से कुछ चुनौतियों को यहॉं प्रतिबिम्बित किया गया है :–

1 कृषि विपणन में लगातार बढ़ती हुई चुनौतियों एवं परिस्थितियों के फलस्वरूप वर्तमान में परिचालित नियमों एवं योजनाओं में आवष्यक सुधार किया गया है तथापि वह भी संतोष प्रद नहीं है।

2 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कृषि विपणन हेतु बाजार सुधारों की प्रक्रिया को लागु किया गया है, किंतु आज तक इन सुधारों का राज्य के कृषि विपणन पर सुधारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

3 लाभकारी मूल्यों पर अपने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए किसानों को वैकल्पिक प्रतियोगी विपणन माध्यमों का विकल्प देने के लिए यथासंभव बाजार सुधारों की प्रक्रिया को पूरा किया जाना आवश्यक है।

4 अनिवार्य फसल नियम 1955 के अधीन तथा प्रशासनिक निर्देषों द्वारा राज्य के व्यापार प्रयोजनों के लिए विशेष फसलों के सीमा–पार आवागमन की गति पर रोक लगा दी जाती है इस प्रकार मांग एवं पूर्ति में सन्तुलन न होने से राज्य के व्यापार के विकास में रूकावट आ रही है।

5 विभिन्न स्टॉक सीमाओं का जिन्स–वार ब्यौरा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाता है जो भंडारण सुविधाओं में निवेशों को प्रोत्साहित करता है, यह एक महत्वपूर्ण विपणन संरचना है। स्टॉक सीमाओं तथा कृषि जिन्सों की गति को मुक्त करने की आवश्यकता है ताकि देश के बाहर भी राज्य के कृषि उत्पाद को बाजार की सुविधा प्राप्त हो सके।

6 राज्य में मौजूदा कृषि विपणन योजना विखंडित आपूर्ति श्रृंखला से अंकीत हैं जो बहुल बाजार खिलाड़ियों के अधिकार क्षेत्र में हैं जिसके परिणामस्वरूप बहुत अपव्यय होता है तथा विपणन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए मूल्यों में से उत्पादों को अधिक हिस्सा देने के लिए प्रत्यक्ष विपणन तथा संविदा खेती को बढ़ावा दिया जाए।

7 बिचौलियों तथा अन्य उच्च प्रभारों के 13 से 15.5 प्रतिशत मूल्यानुसार के अतिरिक्त यहॉं खुदरा स्तरों के मूल्य तथा थोक बिक्री स्तरों के मूल्य के बीच बहुत अंतर होता है जिसे नियंत्रित रखने की आवश्यकता है।

8 फल तथा सब्जियों पर रखे गये बाजार शुल्क को हटाया जाए ताकि उन जिन्सों के अनियंत्रित व्यापार को सुनिश्चित किया जा सकें।

4 निष्कर्ष :–

राज्य के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपुर्ण योगदान है, अतः यह आवश्यक है कि कृषि तथा कृषिगत कार्यो को राज्य में महत्व दिया जाय। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषिगत कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रयास किये जाते रहे है, कृषि विपणन का विकास भी उन प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कृषि विपणन के क्षेत्र में राज्य शासन द्वारा अनेक सुधारात्मक प्रयास किये गए है जिससे राज्य के कृषि कार्य में संलग्न लोग लाभान्वित हुए है, जिससे राज्य के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है, किन्तु वर्तमान में बढ़ते प्रतिस्पर्धात्मक समय में राज्य के कृषि विपणन के क्षेत्र में और भी सुधार किया जाना आवश्यक है, जिससे कृषि कार्य में संलग्न लोग और अधिक लाभान्वित हो सकें।

विगत कुछ वर्षों से राज्य में फल एवं अन्य नकद फसलों के उत्पादन में तीव्र गति से विकास हुआ है, यदि इनके भण्डारण एवं विपणन की उचित व्यवस्था हो जावे तो इससे कृषकों की आय में वृद्धि के साथ राज्य की कृषि विकास दर में भी वृद्धि हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूचि

1 भारतीय अर्थव्यवस्था – रूद्र दत्त सुंदरम।
2 छत्तीसगढ़ शासन आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2013–14।
3 छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन 2012–13: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़, रायपुर।
4 प्रषासनिक प्रतिवेदन 2010: छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर छत्तीसगढ़।
5 छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति : छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग।
6 वार्षिक रिपोर्ट 2013 कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार।
7 स्वदेषी – माह नवम्बर 2011 ।
8 कुरूक्षेत्र – माह अक्टूबर 2011 ।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- Directory Of Research Journal Indexing
- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- DOAJ
- EBSCO
- Crossref DOI
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Review Of Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.ror.isrj.org